न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

S.T. Case No. 689/2024
CIS No.- 689/2024

राज्य सरकार द्वारा xxxx.....सूचिका

बनाम

1.मो0 वहाब उर्फ अब्दुल वहाब, पिता–रकीब

2.मो0 मरगुब, पिता–इद्रीश

.....अभियुक्तगण।

अंतर्गत धारा– 342, 376, 120बी, 34 भा.द.वि.

उत्पन्न अररिया फारबिसगंज थाना काण्ड सं0– 790/2021

संज्ञान अन्तर्गत धारा–342, 376, 120बी, 34 भा.द.वि., दिनांक 16.10.2023

आरोप– अन्दर धारा– 342/34, 376/34, 120बी/34 भा.द.वि., दिनांक 20.12.2024

अभियोजन पक्ष :– श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष :– श्री मो0 मसीह रेजा, विद्वान अधिवक्ता।

निर्णय की तिथि – 12वीं मार्च 2026.

उपस्थितः– मनोज कुमार तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
अररिया।

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण धारा 342/34, 376/34, 120बी/34 भा.द.वि. के अर्न्तगत न्यायिक विचारण का सामना कर रहा है।

2. अभियोजन का अंतर्सार यह है कि दिनांक 29.09.2021 को समय लगभग 06 बजे संध्या में सूचिका को अभियुक्तगण बोलेरो स्कारपियो पर बैठा कर ले गये, मारपीट किया तथा सुनसान जगह में ले जाकर बलात्कार किया।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद की औपचारिक प्राथमिकी फारबिसगंज थाना काण्ड सं0–790/2021 के रूप में दिनांक 02.10.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज कर वाद का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र सं0–898/2023 दिनांक 30.07.2023 को अन्तर्गत धारा 342, 376, 120बी, 34 भा.द. वि. के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध समर्पित किया गया। वाद का संज्ञान धारा 342, 376, 120बी, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 16.10.2023 को लेने के पश्चात विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी–प्रथम श्रेणी, अररिया के द्वारा अभियुक्तगण के वाद दिनांक

25.10.2024 को दौरा सुपुर्द किया गया तदोपरांत सत्र न्यायाधीश, अररिया के न्यायालय के आदेशोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सत्रवाद संख्या 689/2024 प्रारंभ किया गया।

4. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 20.12.2024 को आरोप का गठन धारा 342/34, 376/34, 120बी/34 भा.द.वि. के अंतर्गत किया गया एवं उसका सारांश हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण अपने उपर लगाये गये आरोपों का खंडन करते हुए न्यायिक–विचारण का दावा किये। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। अन्य साक्षियों की उपस्थिति हेतु सम्मन, जमानतीय एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने एवं अभियोजन को उचित से अधिक अवसर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 25.02.2026 द्वारा अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया था और उसके पश्चात दिनांक 12.03.2026 को यह अभिलेख इस न्यायालय में बयान के लिए निर्धारित करके स्वीकृत हुआ था।

5. अभियुक्तगण का बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 12.03.2026 को दर्ज किया गया। वे अपने को निर्दोष बताये और बचाव पक्ष के अनुरोध पर सफाई साक्ष्य बंद किया गया।

6. न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त ढंग से सभी तर्कसंगत संदेहों से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं ?

<u>मंतव्य</u>

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जो निम्न है :–

अभियोजन साक्षी सं0 1 xxxx सूचिका सह पीड़िता की मॉ

अभियोजन साक्षी सं0 2 अबुनसर

अभियोजन साक्षी सं0 3 इसराईल

अभियोजन साक्षी सं0 4 xxxx सूचिका सह पीड़िता

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य हेतु प्रदर्श अंकित कराया गया है जो निम्न है :–

प्रदर्श–1 लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर

अभियोजन के द्वारा इसके अलावे अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कराया गया है।

8. बचाव पक्ष के द्वारा न तो किसी साक्षी को परीक्षित कराया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कराया गया है।

9. अभियोजन साक्षी सं0 01 xxxx सूचिका सह पीड़िता की मॉ है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कंडिका 01 में कही है कि इस केस की वादिनी मेरी बेटी है। मेरी बेटी बहाव और मो0 मरगुप पर मुकदमा की है। घटना पांच–सात साल पूर्व, समय सात बजे शाम की है। मेरी बेटी अपने

ससुराल से आ रही थी। दुकान के पास पहुंची तो स्कॉर्पियों गाड़ी पर अभियुक्तगण बैठा लिया और लेकर चला गया। कंडिका 02 में कही है कि घटना के पांच–दस दिन बाद वापस आयी और घटना के बारे में सारी बातें बतायी और बोली कि बहाव और मरगुप मेरे साथ बलात्कार किया। तब जाकर मेरी बेटी थाना में जाकर आवेदन दी। पुलिस घर पर आया था और पूछताछ की थी। कंडिका 03 में कही है कि आज न्यायालय में बहाव आया है, मरगुप को पहचानती हूं, आज न्यायालय में नहीं आया है।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कंडिका 04 में कही है कि स्कॉर्पियों का नंबर नहीं जानती हूं। बहाव और सूचिका में राजी खुशी से शादी हो गयी है और मुझे कोई एतराज नहीं है। दोनों की शादी मुस्लिम रीति–रिवाज के अनुसार हुई है। सूचिका अपने ससुराल में बहाव के घर पर है। कंडिका 05 में कही है कि बहाव और मेरी बेटी को एक बच्चा हुआ है और अभी एक बच्चा होने वाला है। दोनों में मेल–मिलाप हो गया है।

10. अभियोजन साक्षी सं0 02 अबुनसर है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण के कंडिका 01 में कहा है कि न्यायायल में उपस्थित अभियुक्त वहाब को पहचानता हूं। मलगुर को भी पहचानता हूं। सूचिका को भी पहचानता हूं। घटना का लगभग साढ़े चार साल हो गया है। हल्ला हुआ था, तब हम गए थे। गये तो सुने थे कि सूचिका को चार चक्का वाला उठाकर लेकर चला गया। यही बात पुलिस को भी बताए थे।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कंडिका 02 में कहा है कि चार चक्का हम नहीं देखे थे। हम सिर्फ सुने है, देखे नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी सं0 03 इसराईल है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कंडिका 01 में कहा है कि न्यायालय में उपस्थित दो अभियुक्तों को चेहरे से पहचानते हैं, नाम से नहीं जानते है। अभियुक्तों ने अपना अब्दुल बहाव और मरगुव आलम बताया। इस केस की वादिनी पहचानता हूं। कंडिका 02 में कहा है कि घटना का पांच–छह साल हो गया है। शाम की घटना थी। जानकारी मिला था कि सूचिका को अभियुक्तगण स्कार्पियों से ले गया था। कंडिका 03 में कहा है कि पुलिस आयी थी, पूछताछ की थी।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कंडिका 04 में कहा है कि घटना को मैंने अपने ऑखों से नहीं देखा था। लोगों से मामूल हुआ था। जो सुने थे, वही बताये हैं। नोटिस पर गवाही देने आया हूं।

12. अभियोजन साक्षी सं0 04 xxxx सूचिका सह पीड़िता है। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कंडिका 01 में कही है कि मैं इस केस की सूचिका हूं। मैं अपना आवेदन फारबिसगंज थाना में दी थी जिसपर अपना हस्ताक्षर की थी। मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानती हूं। आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। कंडिका 02 में कही है कि यह घटना करीब पांच साल पहले की करीब 06 बजे शाम की है। मैं दुकान से आ रही थी, बहाव और मरगूब स्कॉर्पियो में बैठाकर मुझे ले गया तथा मेरे साथ बहाव बलात्कार किया तथा मरगूब छुड़ा दिखाया। मैं हल्ला भी की लेकिन मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं किसी तरह अपने घर पहुंची तथा घटना की जानकारी अपने माता–पिता को दी। कंडिका 03 में कही है कि मुझे थाना

के द्वारा न्यायालय में 164 का बयान कराया गया था जिसपर मैं अपना हस्ताक्षर की थी। मेरा चिकित्सकीय जांच भी हुआ था। पुलिस मुझसे पूछताछ की थी। कंडिका 04 में कही है कि आज न्यायालय में अभियुक्त बहाव एवं मरगूब उपस्थित है इसे पहचानती हूं।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कंडिका 05 में कही है कि मुकदमा में राजी–खुशी से सुलह हो गई है तथा हस्ताक्षरित सुलहनामा न्यायालय में दाखिल है। अभियुक्त बहाव मुझसे शादी कर लिया है तथा बहाव से मुझे दो बच्चे भी है। मैं अपने पति बहाव के साथ सुखी पूर्वक अपने ससुराल में रह रही हूं। बहाव से पूर्व से ही प्रेम संबंध था। शादी नहीं कर रहा था इसलिए केस की थी। मैं अपनी मर्जी से बहाव के साथ गई थी। आज अपने पति बहाव के साथ न्यायालय आई हूं। अब केस लड़ना नहीं चाहती हूं अगर केस समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभियुक्त मेरी इच्छा के विरूद्ध संबंध नहीं बनाया था। घटना के समय मेरी उम्र करीब 22 वर्ष थी। अभियुक्त बहाव दूसरी शादी नहीं किया है वह मेरे साथ खुशी पूर्वक रहता है।

13. उभय पक्ष अपने–अपने तर्कों के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि घटना तिथि को सूचिका को अभियुक्तगण बोलेरो स्कारपियो पर बैठा कर ले गये, मारपीट किया तथा सुनसान जगह में ले जाकर बलात्कार किया। अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्तगणा को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस वाद में अभियोजन के द्वारा कुल चार साक्षी को परीक्षित कराया गया है, जिसमें से किसी भी साक्षी ने अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं किया है। सूचिका ने मेल–मिलाप कर लिया है तथा अभियुक्त मो0 वहाब से शादी कर खुशी पूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। वाद में अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष है, अतः उन्हें वाद में आरोपित धाराओं से मुक्त करने की कृपा की जाए।

<u>निष्कर्ष</u>

14. प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष के प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य एवं अभिलेख का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। अभियोजन द्वारा इस वाद में कुल चार साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिसमें से अभियोजन साक्षी सं0 01 ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मेरी बेटी अपने ससुराल से आ रही थी। दुकान के पास पहुंची तो स्कॉर्पियों गाड़ी पर अभियुक्तगण बैठा लिया और लेकर चला गया। घटना के पांच–दस दिन बाद वापस आयी और घटना के बारे में सारी बातें बतायी और बोली कि बहाव और मरगुप मेरे साथ बलात्कार किया। जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कही है कि स्कॉर्पियों का नंबर नहीं जानती हूं। बहाव और पीड़िता में राजी खुशी से शादी हो गयी है और मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी मेरी बेटी अपने ससुराल में बहाव के घर पर है। बहाव और मेरी बेटी को एक बच्चा हुआ है और अभी एक बच्चा होने वाला है। दोनों में मेल–मिलाप हो गया है। अभियोजन साक्षी सं0 02 एवं 03 कथित घटना का प्रत्यदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी सं0 04 सूचिका सह पीड़िता है, ने मुख्य परीक्षण में कही है कि मैं दुकान से आ रही थी, बहाव और मरगूब स्कॉर्पियो में बैठाकर मुझे ले गया तथा

मेरे साथ बहाव बलात्कार किया तथा मरगूब छुड़ा दिखाया। मैं हल्ला भी की लेकिन मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। मैं किसी तरह अपने घर पहुंची तथा घटना की जानकारी अपने माता–पिता को दी। मुझे थाना के द्वारा न्यायालय में 164 द0प्र0सं0 का बयान कराया गया था, जिसपर मैं अपना हस्ताक्षर की थी। मेरा चिकित्सकीय जांच भी हुआ था। जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कही है कि मुकदमा में राजी–खुशी से सुलह हो गई है तथा हस्ताक्षरित सुलहनामा न्यायालय में दाखिल है। अभियुक्त बहाव मुझसे शादी कर लिया है तथा बहाव से मुझे दो बच्चे भी है। मैं अपने पति बहाव के साथ सुखी पूर्वक अपने ससुराल में रह रही हूं। बहाव से पूर्व से ही प्रेम संबंध था। शादी नहीं कर रहा था, इसलिए केस की थी। मैं अपनी मर्जी से बहाव के साथ गई थी। आज अपने पति बहाव के साथ न्यायालय आई हूं। अब केस लड़ना नहीं चाहती हूं, अगर केस समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभियुक्त मेरी इच्छा के विरूद्ध संबंध नहीं बनाया था। घटना के समय मेरी उम्र करीब 22 वर्ष थी। अभियुक्त बहाव दूसरी शादी नहीं किया है, वह मेरे साथ खुशी पूर्वक रहता है। इस तरह से प्राथमिकी में लगाये गये आरोप एवं अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षियों ने घटना का आंशिक रूप से समर्थन किया है। सूचिका अपने साक्ष्य में सुलह–समझौता हो जाने की बात को स्वीकार किया है तथा अभियुक्त मो0 वहाब के साथ शादी कर सुखी पूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। अभियोजन द्वारा इन साक्षियों के अलावे अन्य किसी भी साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य हेतु परीक्षित कराये जाने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है।। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है।

आदेश

15. विचारणीय अभियुक्तगण 1.मो0 वहाब उर्फ अब्दुल वहाब, पिता–रकीब, 2.मो0 मरगुब, पिता–इद्रीश को आरोपित धारा 342/34, 376/34, 120बी/34 भा.द.वि. के आरोपों से आरोप की पुष्टि युक्ति–युक्ति संदेहों से परे साबित न होने के कारण दोष–मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं और उनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत करके खुले न्यायालय में उभय पक्षों की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया। तदनुसार कार्यालय विधितः संबंधितों को सूचित करे साथ ही पूर्व में साक्षियों या अभियुक्तगण के खिलाफ यदि कोई सम्मन, वारण्ट आदि प्रक्रियाएँ भेजी गई हो, को रिकॉल करें एवं निर्णयानुसार प्रदर्श सूची यदि कोई हो तो तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न करें।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अररिया। 12.03.2026

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
अररिया। 12.03.2026